

भारत का राजपत्र
The Gazette of India



सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 651]

No. 651]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 2, 2011/अग्रहायण 11, 1933

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 2, 2011/AGRAHAYANA 11, 1933

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2011

सा.कानि. 857(अ).—पैट्रोलियम (संशोधन) नियम, 2011 का प्रारूप, पैट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 29 की उप-धारा (2) और उप-धारा (3) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 15 जून, 2011 में भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक 455(अ), तारीख 14 जून, 2011 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको अधिसूचना जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त अधिसूचना जनता को तारीख 15 जून, 2011 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार को प्रारूप नियमों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पैट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 4, धारा 5, धारा 14, धारा 21, धारा 22 और धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पैट्रोलियम नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पैट्रोलियम (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पैट्रोलियम नियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, खंड (ix) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(ix) “संघ के रक्षा बलों” के अंतर्गत महानिदेशक सीमा सड़क के अधीन साधारण रिजर्व इंजीनियरी बल, रक्षा मंत्रालय के अधीन आर्डिनेंस कारखाने, गृह मंत्रालय के अधीन असम रायफल्स, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, तट रक्षक और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन विशेष सुरक्षा ब्यूरो भी है;”;

3. उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (1) में “लौहे या स्टील” शब्दों के स्थान पर “स्टील या अन्य उपयुक्त सामग्री” शब्द रखे जाएंगे ।
4. उक्त नियमों के नियम 6 के उपनियम (1) में “लौहे” शब्द के स्थान पर “अन्य उपयुक्त सामग्री” शब्द रखे जाएंगे ।
5. उक्त नियमों के नियम 63 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(2) टैंक, मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित किसी विनिर्माता द्वारा बनाया जाएगा और उसे यान के चेसिस पर चढ़ाया जाएगा ऐसा विनिर्माता,-

(i) सुविधाओं और उसके पास उपलब्ध सक्षम व्यक्तियों की विशिष्टियों और पांच सौ रुपये की संवीक्षा फीस के साथ मुख्य नियंत्रक को आवेदन करेगा और मुख्य नियंत्रक विशिष्टियों और जन शक्ति की सक्षमता का सत्यापन करने के पश्चात् स्वयं का समाधान हो जाने पर टैंक ट्रक बनाने के लिए कारखाने का अनुमोदन कर सकेगा और ऐसा अनुमोदन, अनुमोदन जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष के लिए विधिमान्य होगा और प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के लिए पांच सौ रुपये की फीस का संदाय करने पर तीन वर्ष की और अवधि के लिए नवीकरणीय होगा ।

(ii) मुख्य नियंत्रक को अनुमोदन के लिए एक सौ रुपये की संवीक्षा फीस के साथ प्रत्येक टैंक यान के लिए चार प्रतियों में टैंक संरचना और आरोहण रेखाचित्र प्रस्तुत करेगा और मुख्य नियंत्रक, डिजाइन का सत्यापन करने के पश्चात् स्वयं का समाधान हो जाने पर, रेखाचित्रों का अनुमोदन कर सकेगा और उसकी एक प्रति अपने हस्ताक्षर और प्राधिकारिक मुद्रा से आवेदक को अग्रेषित कर सकेगा ।”

6. उक्त नियमों के नियम 64 में, उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(3) टैंक ट्रक या टैंक अर्द्ध - ट्रेलर की शुद्ध वहनीय क्षमता, वायुयान रिफ्यूलर की ऐसी दशा के सिवाय जिसमें वह 50 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी, 40 किलोलीटर पैट्रोलियम से अधिक नहीं होगी और किसी टैंक ट्रेलर की शुद्ध वहनीय क्षमता 5 किलोमीटर पैट्रोलियम से अधिक नहीं होगी ।”

शील

7. उक्त नियमों के नियम 70 में, --

(1) उपनियम (1) में,

(i) खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

स्त

“परंतु जहां डीजल इंजन का निष्कासक टर्बो चार्जर- और अंतरशीतलक व्यवस्थाओं से युक्त ईकाई अंतःक्षेपक और इलेक्ट्रानिक नियंत्रण ईकाई के इलेक्ट्रानिक ईंधन प्रबंध वाली अभिकल्पना पर आधारित है वहां पृथक स्फुलिंगरोधक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।”;

T

(ii) खंड (vi) में, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं “कक्ष” शब्द के स्थान पर “केबिन” शब्द रखा जाएगा ;

(2) उप नियम (2) में “कक्ष” शब्द के स्थान पर “केबिन” शब्द रखा जाएगा ;

8. उक्त नियमों के नियम 71 में, --

(1) खंड (ii) में,-

(i) उपखंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(क) अधिक गर्म होने से बचाने के लिए पर्याप्त क्षमता वाले कंडक्टर समाविष्ट किए जाएंगे और वहन किए जाने वाले अधिकतम भार के लिए पर्याप्त रूप से रोधित की जाएगी।”;

(ii) उपखंड (ख) में “संरक्षित रह सके ; और” शब्द के स्थान पर “संरक्षित रह सके ;” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपखंड (ग) में “बंद होने चाहिए” शब्द के पश्चात् “और” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा” ;

(iv) उपखंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(घ) सुरक्षित रूप से बांधी जाएंगी और ऐसी स्थिति में रखी जाएंगी कि कंडेक्टर यांत्रिक दबाव से पर्याप्त रूप से सुरक्षित रहें ;” ।

(2) खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(iii) जनरेटर, बैटरी, स्विच, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर यान के केबिन में या इंजन कम्पार्टमेंट में रखे जाएंगे और बैटरी को सहजगम्य स्थिति में हेवी ड्यूटी स्विच के साथ ऐसे वैद्युत सर्किटो को तोड़ने के लिए जो यथासाध्य बैटरी के पास रखे जाएंगे, हेवी ड्यूटी स्विच के साथ लगाया जाएगा --

(क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण युक्ति में, एक को चालक के केबिन में और दूसरी को यान के बाहर लगाया जाएगा और दोनों युक्तियां यान के केबिन के भीतर और उसके बाहर लगाई जाएगी और यह सहजगम्य और सुभिन्न रूप में चिन्हांकित होगी और चालक के केबिन में अवस्थित नियंत्रण युक्ति चालक सीट पर बैठे चालक की तात्कालिक पहुंच के भीतर होगी और उसे या तो संरक्षात्मक आवरण डालकर या द्वैतसंचलन नियंत्रण युक्ति द्वारा या किसी अन्य उपयुक्त साधन द्वारा अनभिप्रेत संचलन से संरक्षित किया जाएगा ।

(ख) इसमें कोई अनिष्कारी अधिक वोल्टेज के बगैर इंजन चालू रहने के दौरान स्विच को खोलना साध्य होगा और किसी विस्फोटक वातावरण में स्विच के प्रचालन से आग का खतरा नहीं होगा जिसे आई पी 65 संरक्षण डिग्री में किसी स्विच के उपयोग द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है ;

(ग) बैटरी मास्टर स्विच पर केबिल का संयोजन, यदि ऐसा संयोजन किसी ऐसे ढांचे में अंतर्विष्ट है जो बैटरी बाक्स हो सकता है को छोड़कर आई पी 54 संरक्षण डिग्री पर होगा ;

(घ) बैटरी टर्मिनल वैद्युत रोधी होंगे या किसी ऐसे विद्युत रोधक बैटरी बाक्स आवरण से ढका होगा जो उचित रूप से हवाकारक होगा;” ।

(3) खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(iv) जनरेटर और उसकी ऐसी मोटरें और स्विच जो उसके इंजन कम्पार्टमेंट के भीतर नहीं लगे हैं और जो उस स्थिति में भी अर्जित रहते हैं जब बैटरी का मास्टर स्विच खोला जाता है, खतरनाक क्षेत्रों में उपयोग के लिए उपयुक्त होंगे और सुसंगत गैस समूह के भारतीय मानकों की समुचित अपेक्षाओं को पूरा करेंगे:

परंतु जहां ऐसा जनरेटर या उसके मोटर या स्विचों को किसी घिरे हुए क्षेत्र में संस्थापित किया जाता है वहां अवितापन और ज्वलनशील वाष्प के एकत्र होने की संभावनाओं को रोकने के लिए वायुसंचरण की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी;”;

(4) खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(v) वैद्युत उपस्कर के बैटरी मास्टर स्विच के लिए ऐसा बाइपास संयोजन को, जो तब भी अर्जित रहता है जब बैटरी मास्टर स्विच को खोला जाता है, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर या सुरक्षित बैरियन (सीमित करंट) जैसे उपयुक्त साधनों द्वारा अतितापन से संरक्षित किया जाएगा :

परंतु खंड (i) और खंड (ii) के उपखंड (क) के सिवाय इस नियम के उपबंध केवल वायुयान से फसल पर छिड़काव के प्रयोजनार्थ अनन्य रूप से प्रयुक्त हेलीकाप्टरों और वायुयानों के लिए प्रपुंज से भिन्न वर्ग क पेट्रोलियम के परिवहन को लागू नहीं होंगे ।”

9. उक्त नियमों के नियम 106 में, —

(i) उपनियम (1) के परंतुक में “प्रकार के सुरक्षित साधित्र” शब्दों के स्थान पर “या तो पृथक रूप से या आंतरिक रूप से सुरक्षित सर्किट विरचित करने वाली वैसी ही अन्य युक्तियों के संयोजन के प्रकार के सुरक्षित साधित्र” शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) उप नियम (2) में,

(क) खंड (ii) में “औद्योगिक प्रकार का साधित्र” शब्दों के स्थान पर “मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित में अनुमोदित औद्योगिक प्रकार का साधित्र” शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(iii) मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित में अनुमोदित प्रकार का सुरक्षित साधित्रों का संयोजन होगा” ;

(iii) उपनियम (3) में खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(i) मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित में अनुमोदित प्रकार का स्फुलिंगहीन या सुरक्षित संस्पर्श साधित्र या निर्बंधित अनुलग्नक साधित्र या ऊर्जा सीमित साधित्र या सरलीकृत दबाव संरक्षित साधित्र होगा ; या”

(iv) उपनियम (4) में खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“टिप्पण --

1. आंतरिक रूप से सुरक्षित साधित्र आई एस/आई ईसी 60079 -11 या मुख्य नियंत्रक द्वारा मान्यता प्राप्त मानक के अनुरूप होगा ;
2. आंतरिक रूप से सुरक्षित सर्किट आई एस/आई ई सी 60079-25 या मुख्य नियंत्रक द्वारा मान्यता प्राप्त मानक के अनुरूप होगा ;
3. ज्वाला सह साधित्र आई एस/आई ईसी 60079 -1 या मुख्य नियंत्रक द्वारा मान्यता प्राप्त मानक के अनुरूप होगा ;
4. दबाव संरक्षित साधित्र आ एस/आई ईसी 60079 -2/60079-13 या मुख्य नियंत्रक द्वारा मान्यता प्राप्त मानक के अनुरूप होगा ;

5. स्फुलिंगहीन साधित्र आई एस /आई ईसी 60079/15 या मुख्य नियंत्रक द्वारा मान्यता प्राप्त मानक के अनुरूप होंगे ;”

10. उक्त नियमों के नियम 108 में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(4) भूसंपर्क कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र न्यूनतम 4 वर्ग मिलीमीटर का होगा ।”

(5) भूसंपर्क प्रणाली की वैद्युत अखंडता को केवल मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित युक्तियों द्वारा ही मापा जाएगा” ।

11. उक्त नियमों के नियम 124 के उपनियम (1) में,

(i) “लोहे या स्टील” शब्दों के स्थान पर “स्टील या अन्य उपयुक्त सामग्री” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) भारतीय मानक संस्थान द्वारा “अनुमोदित कोड या विनिर्देश” शब्दों के स्थान पर “भारतीय मानक ब्यूरो के सुसंगत विनिर्देश” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) परंतुक का लोप किया जाएगा ।

12. उक्त नियमों के नियम 142 में, --

(i) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(13A) इन नियमों के अधीन प्रदत्त या नवीकृत प्ररूप XI में कोई अनुज्ञप्ति एक या अधिक वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगी जिसे दस वर्ष की अधिकतम अवधि के अधीन रहते हुए ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान करने की तारीख से 365 दिन या उसके गुणज के रूप में संगणित किया जाएगा ”;

(ii) उप नियम (2) में “तीन वर्ष” शब्दों के स्थान पर “दस वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ।

13. उक्त नियमों के नियम 144 के उप नियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(6) जहां पेट्रोलियम के भंडारण की अवस्थिति राज्य या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या परमाणु ऊर्जा विभाग के स्थापन के नियंत्रणाधीन किसी पत्तन या विमान पत्तन के अधिसूचित क्षेत्र के भीतर है वहां उप नियम (1) से उप नियम (5) में निर्दिष्ट जिला प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना अपेक्षित नहीं होगा :

परंतु यथास्थिति, संबंधित अधिसूचित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी या स्थापन के प्रमुख से पेट्रोलियम भंडारण के स्थापन हेतु सहमति अभिप्राप्त की जाएगी” ।

14. उक्त नियमों के नियम 148 में, —

(i) उप नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(1क) इन नियमों के अधीन प्ररूप II में प्रदत्त प्रत्येक अनुज्ञप्ति अधिकतम दस वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत की जाएगी जो जहां अधिनियम या उसके अधीन विरचित नियमों या इस प्रकार नवीकृत अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का कोई उल्लंघन में न हो वहां अनुज्ञप्ति प्रदत्त किए जाने की तारीख से 365 दिन या उसके गुणज राज्य के रूप में संगठित किया जाएगा ।

(ii) उप नियम (2) में “प्ररूप 3 में या प्ररूप 17 में अनुज्ञप्ति से भिन्न, इन नियमों के अधीन मंजूर की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति तीन कलेंडर वर्षों के लिए” से प्रारंभ होने वाले शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक रखे जाएंगे ; अर्थात् :-

“ प्ररूप 3, प्ररूप 11 या प्ररूप 17 से भिन्न इन नियमों के अधीन मंजूर की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति अधिकतम दस कलेंडर वर्षों के लिए”;

(iii) उप नियम (3) में “कलेंडर” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(iv) उप नियम (4) में “ तथा अनुज्ञप्ति से संलग्न अनुमोदित नक्शे जहां लागू हो” शब्दों का लोप किया जाएगा । ;

(v) उप नियम (5) में “उस तारीख से जिसको वह पर्यवसित होती है, कम से कम तीस दिन पूर्व” शब्द के स्थान पर “उस तारीख को या उसके पूर्व जिसको वह पर्यवसित होती है” शब्द रखे जाएंगे;

(vi) उप नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(7) अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए प्रत्येक वर्ष उतनी ही फीस ली जाएगी जितनी उसे प्रदान करने के लिए ली जाती है:

परंतु यदि उप नियम (4) के अधीन अपेक्षित संलग्नकों के साथ आवेदन उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त नहीं होता है किंतु उस तारीख के पश्चात् प्राप्त होता है जिसको वह समाप्त हो जाता है तो अनुज्ञप्ति, ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो इस निमित्त की जा सकेगी, ऐसे विलंब फीस का संदाय करने पर नवीकृत की जा सकेगी जो उस अवधि में जिसके लिए नवीनीकरण किया गया

है अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त प्रत्येक तीन मास या उसके भाग के विलंब के लिए अनुज्ञप्ति फीस की एक चौथाई होगी १”;

(vii) उप नियम (8) का लोप किया जाएगा ।

15. उक्त नियमों के नियम 151 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“151. अनुज्ञप्ति से इंकार : किसी अनुज्ञप्ति को देने, उसका संशोधन करने नवीकरण या अंतरण करने से इंकार करने वाला अनुज्ञप्ति प्राधिकारी ऐसी इंकारी के लिए लिखित में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा और अनुज्ञप्ति देने, संशोधन करने, नवीनीकरण या अंतरण करने से इंकार करने वाले आदेश की प्रति आवेदक को देगा :

परंतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने, संशोधन करने नवीकरण या अंतरण करने से इंकार करने के पूर्व आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा” ।

16. उक्त नियमों के नियम 152 के उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(3) उपनियम (1) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को निलंबित करने या रद्द रकने वाला अनुज्ञप्ति प्राधिकारी या केंद्रीय सरकार ऐसा करने के लिए अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा और अनुज्ञप्ति निलंबित करने वाले आदेश की प्रति अनुज्ञप्ति धारी को देगा” ।

17. उक्त नियमों के नियम 181 से नियम 185 का लोप किया जाएगा ।

18. उक्त नियमों की पहली अनुसूची में, —

(i) स्तंभ 1 के अनुच्छेद 2 के सामने,

(क) स्तंभ 4 के नीचे “नियंत्रक” शब्द के स्थान पर “मुख्य नियंत्रक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत नियंत्रक” शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) स्तंभ 5 के नीचे “प्रत्येक कलेंडर वर्ष या उसके किसी भाग के लिए 500 रुपये” शब्द और अंकों के स्थान पर “अनुदान की तारीख से 365 दिन के रूप में संगणित प्रत्येक वर्ष या उसके किसी भाग के लिए 500 रुपये” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) अनुच्छेद 5 के सामने, स्तंभ 4 के नीचे “नियंत्रक” के स्थान पर “मुख्य नियंत्रक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत नियंत्रक” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) अनुच्छेद 7 के सामने, स्तंभ 4 के नीचे “नियंत्रक” के स्थान पर “मुख्य नियंत्रक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत नियंत्रक” शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) अनुच्छेद 8 के सामने, स्तंभ 4 के नीचे “नियंत्रक” के स्थान पर “मुख्य नियंत्रक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत नियंत्रक” शब्द रखे जाएंगे ;

(v) अनुच्छेद 9 के सामने, स्तंभ 4 के नीचे “नियंत्रक” के स्थान पर “मुख्य नियंत्रक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत नियंत्रक” शब्द रखे जाएंगे ;

(vi) अनुच्छेद 10 के सामने, स्तंभ 4 के नीचे “नियंत्रक” के स्थान पर “मुख्य नियंत्रक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत नियंत्रक” शब्द रखे जाएंगे ;

(vii) अनुच्छेद 11 के सामने, स्तंभ 4 के नीचे “नियंत्रक” के स्थान पर “मुख्य नियंत्रक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत नियंत्रक” शब्द रखे जाएंगे ;

19. उक्त नियमों की दूसरी अनुसूची में,—

(i) प्ररूप 11 में, --

(क) प्ररूप 11 में “नियंत्रक” शब्द के स्थान पर “विस्फोटक का नियंत्रक” शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) ‘यान का विवरण’ शीर्ष के अधीन आने वाले “जारी करने की तारीख से एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर “जारी करने की तारीख से अधिकतम दस वर्ष के अधीन रहते हुए एक वर्ष की संगणना 365 दिन या उसके गुणज के रूप में की जाएगी” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) प्ररूप 12 में “नवीकरणों के पृष्ठांकन के लिए स्थान” शीर्ष और उसके नीचे की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“नवीकरणों/पृष्ठांकन के लिए स्थान”

(यह अनुज्ञप्ति पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 या उसके अधीन विरचित नियमों या इस अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन न होने की दशा में फीस में बिना किसी छूट के दस वर्ष तक नवीकृत की जाएगी ।)

| | | |
|-----------------|------------------------------------|---|
| नवीकरण की तारीख | अनुज्ञप्ति के समाप्त होने की तारीख | अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय स्टांप” |
|-----------------|------------------------------------|---|

(iii) प्ररूप 13 में, “नवीकरण के पृष्ठांकन के लिए स्थान” शीर्ष और उसके नीचे की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“पृष्ठांकन/नवीकरणों के लिए स्थान

(यह अनुज्ञप्ति पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 या उसके अधीन विरचित नियमों या इस अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन न होने की दशा में फीस में बिना किसी छूट के दस वर्ष तक नवीकृत की जाएगी ।)

| | | |
|-----------------|------------------------------------|---|
| नवीकरण की तारीख | अनुज्ञप्ति के समाप्त होने की तारीख | अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय स्टांप” |
|-----------------|------------------------------------|---|

(iv) प्ररूप 14 में,

(क) “नियंत्रक” शब्द के स्थान पर “विस्फोटकों का नियंत्रक” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “नवीकरणों के पृष्ठांकन के लिए स्थान” शीर्ष और उसके नीचे की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“नवीकरणों के पृष्ठांकन के लिए स्थान

(यह अनुज्ञप्ति पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 या उसके अधीन विरचित नियमों या इस अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन न होने की दशा में फीस में बिना किसी छूट के दस वर्ष तक नवीकृत की जाएगी ।)

| | | |
|-----------------|------------------------------------|--|
| नवीकरण की तारीख | अनुज्ञप्ति के समाप्त होने की तारीख | अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय स्टाम्प” |
|-----------------|------------------------------------|--|

(v) प्ररूप 15 में, --

(क) “मुख्य नियंत्रक” शब्द के स्थान पर “मुख्य विस्फोटक नियंत्रक” शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) “नवीकरणों के पृष्ठांकन के लिए स्थान” शीर्ष और उसके नीचे की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“पृष्ठांकन/नवीकरण के लिए स्थान

(यह अनुज्ञप्ति पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 या उसके अधीन विरचित नियमों या इस अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन न होने की दशा में फीस में बिना किसी छूट के दस वर्ष तक नवीकृत की जाएगी ।)

| | | |
|-----------------|------------------------------------|--|
| नवीकरण की तारीख | अनुज्ञप्ति के समाप्त होने की तारीख | अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय स्टाम्प” |
|-----------------|------------------------------------|--|

(ग) सारणी 2 की दूसरी पंक्ति में “स्तंभ शीर्ष “मद” के नीचे 50 मीटर व्यास वाले सभी टैंक” शब्दों और अंकों के स्थान पर “50 मीटर से अधिक व्यास के सभी टैंक” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(vi) प्ररूप 16 में, --

(क) “नियंत्रक” शब्द के स्थान पर “विस्फोटक का नियंत्रक” शब्द रखेस जाएंगे ।

(ख) “नवीकरणों के पृष्ठांकन के लिए स्थान” शीर्ष और उसके नीचे की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“पृष्ठांकन/नवीकरणों के लिए स्थान”

(यह अनुज्ञप्ति पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 या उसके अधीन विरचित नियमों या इस अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन न होने की दशा में फीस में बिना किसी छूट के दस वर्ष तक नवीकृत की जाएगी।)

| | | |
|-----------------|------------------------------------|---|
| नवीकरण की तारीख | अनुज्ञप्ति के समाप्त होने की तारीख | अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय स्टांप” |
|-----------------|------------------------------------|---|

(vii) प्ररूप 17 में, “नियंत्रक” शब्द के स्थान पर “विस्फोटकों का नियंत्रक” शब्द रखे जाएंगे ;

(viii) प्ररूप 18 में, “पृष्ठांकन/नवीकरण के लिए स्थान” शीर्ष और उसके नीचे की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“पृष्ठांकन/नवीकरणों के लिए स्थान”

(यह अनुज्ञप्ति पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 या उसके अधीन विरचित नियमों या इस अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन न होने की दशा में फीस में बिना किसी छूट के दस वर्ष तक नवीकृत की जाएगी।)

| | | |
|-----------------|------------------------------------|---|
| नवीकरण की तारीख | अनुज्ञप्ति के समाप्त होने की तारीख | अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय स्टांप” |
|-----------------|------------------------------------|---|

(ix) शीर्षक अनुज्ञप्ति में, —

(क) “प्ररूप 19 (पेट्रोलियम नियम, 2001 की प्रथम अनुसूची का अनुच्छेद 11 देखिए)” शब्दों और अंकों के स्थान पर “प्ररूप 19 (पेट्रोलियम नियम, 2002 की पहली अनुसूची का अनुच्छेद 11 देखिए)” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) “नियंत्रक” शब्द के स्थान पर “विस्फोटकों का नियंत्रक” शब्द रखे जाएंगे ;

20. उक्त नियमों की तृतीय अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

“तीसरी अनुसूची
(नियम 63 और नियम 77 देखिए)

प्रपुंज में पेट्रोलियम के परिवहन के लिए टैंक यानों का डिजायन और निर्माण

1. टैंक यानों का आधारभूत डिजाइन :-

(1) टैंक यानों को प्रपुंज में पेट्रोलियम के परिवहन के लिए और टैंक नोदन, उपस्कर और अन्य

समर्थक अवयवों असमताओं, सुरक्षित रूप से चालन दक्षता और ब्रेक शक्ति के बीच सही संरचनात्मक संबंध बनाने को सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियरी की सुस्थापित प्रथा के अनुसार डिजाइन किए जाएंगे।

(2) संधित यानों की दशा में टैंक के वाहन धुरी की भूमि पर भार अभिकल्पित सकल लदे हुए भार के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

2. टैंक के सन्निर्माण की सामग्री :

टैंक मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित अपेक्षाओं वाले नरम स्टील या उच्च शक्ति सम्मिश्रित स्टील एसटेनैटिक स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम मिश्रित निर्मित किए जाएंगे।

(अ) भौतिक अपेक्षाएं :

(क) नरम स्टील या उच्च सामर्थ्य सम्मिश्रित स्टील या एसटेनैटिक स्टेनलेस स्टील

| विशेषता | नरम स्टील (एम एस) | उच्च सामर्थ्य लो अलाय स्टील (एच एस एल ए) | एसटेनैटिक स्टेनलेस स्टील (एस एस) |
|-----------------|------------------------|--|----------------------------------|
| पराभव स्ट्रेन्थ | 1,700 कि.ग्रा./सी एम 2 | 3,100 कि.ग्रा./सीएम2 | 1,700 कि.ग्रा. सी एम 2 |
| चरम सामर्थ्य | 3,100 कि.ग्रा./सीएम2 | 4,200 कि.ग्रा./सीएम2 | 4,900 कि.ग्रा./सीएम2 |
| लंबाई 50 एम एम | 20% | 25% | 30% |
| सैम्पल्स | | | |

(ख) एल्युमिनियम मिश्रण -- फ्यूजन वेल्डिंग के लिए केवल एल्युमिनियम मिश्रण उपयुक्त है और ए एस टी एम बी - 209 मिश्रण 5052, 5086, 5154, 5254, 5454, 5652, या एल्युमिनियम मिश्रित शीट और प्लेट के लिए समतुल्य विनिर्देशों का उपयोग किया जाएगा।

(ग) सभी सिरों, व्यारोधों और कठोर छल्लों के लिए जीरो टेम्पर (तपनुशीतित) या स्ट्रांग टेम्परों का उपयोग अनुज्ञात किया जाएगा और सभी आवरणों को एच 32 या एच 34 के समतुल्य विशेषताओं वाली सामग्रियों से बनाए जाएंगे सिवाय तब के जब उपोप किए जाने वाला सामर्थ्य टेम्पर यदि आवरण की न्यूनतम मोटाई विपरीत अनुपात में लघु चरम सामर्थ्य की ओर बढ़ाई जाती है तो अनुज्ञात किया गया हो।

आ : धातु की मोटाई :

टैंक की न्यूनतम मोटाई लीटर प्रति सेंटीमीटर में व्यक्त टैंक की आयतन क्षमता से संबद्ध होगी और पार्टीशनों व्यारोधों (बैपुल) या अन्स स्टिफरों की बीच की दूरी और आवरण की गोलाई की त्रिज्या नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी :

सारणी

| खोल की अधिकतम त्रिज्या | शीर्षों, व्यासों या वलय स्तिकर्णों के बीच दूरी | आयतन क्षमता लिटर प्रति सेंटीमीटर | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------|------|-------------|----------------|------|------------|----------------|------|------|-----|---|-----|
| | | 21 तक | | | 21 से 27 तक | | | 27 से अधिक | | | | | | |
| | | एम एस | एच एस एल एल | ए एल | एम एस | एच एस एल एल एल | ए एल | एम एस | एच एस एल एल एल | ए एल | | | | |
| 175 से.मी. या कम | 90 से.मी. या कम | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| | 90 से.मी. -135 से.मी. से अधिक | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 |
| 175 या उससे अधिक, 225 से.मी. से कम | 135 से.मी. से अधिक | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 4 |
| | 90 से.मी. या कम | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 |
| | 90 से.मी. -135 से.मी. से अधिक | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 4 |
| | 135 से.मी. से अधिक | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 4.2 | 3 | 3 | 5 |
| 225 से.मी. या उससे अधिक, 310 से.मी. से कम | 90 से.मी. या कम | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3.5 | 3 | 2 | 3.25 | 3 | 3 | 4 |
| | 90 से.मी. -135 से.मी. से अधिक | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 4.5 |
| | 135 से.मी. से अधिक | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 4.2 | 3 | 3 | 5 |
| 310 से.मी. या अधिक | 90 से.मी. या कम | 3 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 4.5 |
| | 90 से.मी. -135 से.मी. से अधिक | 3.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3 | 4.5 | 4.2 | 3.5 | 4.2 | 3 | 3 | 5 |
| | 135 से.मी. से अधिक | 3.5 | 3 | 4.5 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 3 | 6 |

टिप्पण -- यदि टैंक में वृताकार से भिन्न क्रास सेक्शन है तो इस सारणी के प्रयोजन के लिए त्रिज्या विचाराधीन क्रास सेक्शन के उस भाग के लिए अधिकतम होगा

3 जोड़ :

टैंक और उसके आवरण, शीर्ष, पार्टेशन और स्टिफर के सभी जोड़ों की मान्यता प्राप्त उच्चतम पद्धति के अनुसार झलाई की जाएगी और किसी जोड़ की दक्षता इस प्रकार जोड़ी गई पार्श्ववर्ती धातु के 85 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

4. टैंक का कम्पार्टमेंट में विभाजन :

(1) जब तक मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित में स्पष्ट रूप से अनुज्ञात न किया जाए 5 किलो लीटर से अधिक शुद्ध क्षमता वाला कोई टैंक तेलरोधी पार्टेशनों द्वारा कम्पार्टमेंट में विभाजित किया जाएगा और किसी भी कम्पार्टमेंट की शुद्ध क्षमता, 25 किलोलीटर से अनधिक वहन क्षमता वाले किसी अर्ध ट्रेलर टैंकर की दशा में 5 किलोलीटर से अधिक या 25 किलोलीटर से अधिक की शुद्ध वहन क्षमता वाले टैंक ट्रक या किसी अर्ध ट्रेलर टैंक की दशा में 7 किलोलीटर से अधिक नहीं होगी।

(2) प्रत्येक पार्टेशन या तो नतोद्धरित (डिश्ड), वलीयित (कोरुगेटिड), बलित (रेनफोर्सड) होगा या बेल्लित (रोल्ड) होगा। ऐसे सपाट पार्टेशनों को जो प्रबलित नहीं है, अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(3) एक या अधिक कम्पार्टमेंटों में वर्ग क के पेट्रोलियम और अन्य कम्पार्टमेंट या कम्पार्टमेंटों में वर्ग ख या वर्ग ग के पेट्रोलियम का परिवहन करने के लिए डिजाइन किए गए टैंक यानों में दोहरा विभाजन उपलब्ध करवाया जाएगा और उत्पाद के ऐसे वर्गों के लिए पृथक नल तंत्र, हौज से सुसज्जित होंगे।

5. टैंक का परीक्षण:

(1) प्रत्येक टैंक के सभी कंफार्टमेंटों की न्यूनतम हवा या 0.316 किलोग्राम/सेंटीमीटर के द्रवस्थैतिक माप दबाव परीक्षण किया जाएगा और प्रत्येक पृथक कंफार्टमेंट की निकटवर्ती रिक्त कंफार्टमेंटों के साथ और वायुमंडलीय दबाव के आधार पर परीक्षण की जाएगी।

(2) वायुदबाव, यदि प्रयुक्त किया जाता है, कम से कम 5 मिनट की अवधि के लिए दिया जाएगा जिसके दौरान दबावाधान सभी जोड़ों की संपूर्ण सतह पर साबुन और पाली का घोल, भारी तेल या इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त अन्य सामग्री का कोट चढ़ा दिया जाएगा जिसके झाग या बुलबुले किसी रिसाव को उपदर्शित करेंगे।

(3) द्रव स्थैतिक दाब, यदि प्रयुक्त किया जाता है, कम से कम 10 मिनट की अवधि के लिए पानी का उपयोग करके बनाया जाएगा जिसके दौरान ऊपर यथाविहित दाब का उपयोग होगा और उसे टैंक के शिखर से मापा जाएगा।

(4) दाब के अधीन सभी जोड़ों का निरीक्षण द्रव की निकासी के समय रिसाव को उपदर्शित करने हेतु किया जाएगा।

(5) सभी संवरणों को किसी भी पद्धति से निरीक्षण करने के दौरान निश्चित किया जाएगा।

(6) इन परीक्षणों के दौरान प्रचालित अनुतोष युक्ति को कस दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा या अन्यथा अप्रचालित कर दिया जाएगा।

6. दुर्घटना नुकसान संरक्षण:

(1) टैंक के खाल में या नीचे किसी फिटिंग की डिजाइन संनिर्माण और प्रस्थापन ऐसा होगा जो फिटिंग के नुकसान या विफलता को यथासंभव कम कर देगा जिससे टैंक के उत्पाद अवरोधन अखंडता और संस्पेंशन सबफ्रैम, ओवर टर्न सुरक्षा जैसे संरचनात्मक अंगों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को फिटिंगों के संलग्न उपकरण और टैंक के किसी अन्य उपसहायकों के लिए साइट्स के रूप में उपयोजित किया जाएगा।

(2) टैंक के किसी फिटिंग की झलाई माउंटिंग पैड के संलग्न उपकरण द्वारा किया जाएगा और माउंटिंग पैड की मोटाई उस टैंक से कम नहीं होगी जिससे उसे जोड़ा जाता है और पैड को किसी फिटिंग के किसी संलग्न बिंदु से प्रत्येक दिशा में कम से कम 50 मि.मी. तक विस्तारित किया जाएगा और उसके गोल या उससे अन्यथा किनारे होंगे जिन्हें खोल या सिरों पर प्रतिबाधि प्रतिबल संकेन्द्रण के लिए ऐसी रीति में गढ़ा जाएगा और माउंटिंग पैड को पैड के चारों ओर से अविच्छिन्न झलाई द्वारा संलग्न किया जाएगा।

(3) प्रत्येक टैंक में, टैंक को सुरक्षित रखने और पश्च छोर संघट्टन की दशा में चित्कार होने और टैंक और चित्कार उक्त किसी उत्पाद से यान के किसी भाग में टक्कर होने की संभावना को कम करने के लिए पिछला बंपर उपलब्ध करवाया जाएगा और बंपर किसी यान संघटक के कम से कम 150 मि.मी. पीछे अवस्थित किया जाएगा जिसका लदाई और उतराई के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा या परिवहन के समय किसी उत्पाद को रखने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है और बंपर की निचली सतह टैंक या पीपिंग के किसी भाग की निचली सतह से कम से कम 100 मि.मी. नीचे होनी चाहिए जिसमें परिवहन के दौरान उत्पाद रखे जा सकें और जब यान खाली हो तो इसकी ऊंचाई भूमि से 1 मी. से अधिक नहीं होना चाहिए। संरचनात्मक रूप से बंपर के बंपर उत्पादन की परम शक्ति पर आधारित दोहरी सुरक्षा के कारक के उपयोग से 2 "जी" अवत्वरण के साथ निर्धारित शोधनभर (अर्थात् ऐसे नुकसान को रोकने के लिए जिससे उत्पाद में रिसाव होगा) के साथ यान के संघात को सफलतापूर्वक खींचने के लिए डिजाइन किया जाएगा और ऐसे प्रयोजनों के लिए ऐसे संघात को यान के अनुलंबीय अक्ष से किसी भी दिशा में 30 डिग्री से अनधिक के

किसी कोण पर समान रूप से संवितरित और अनुप्रस्थ रूप से (आधार के समानांतर) उपयोजित समझा जाएगा ।

(4) लदाई, उतराई सभी संवरणों और फिटिंग के साथ के प्रवेश छिद्रों को ऐसे नुकसान से संरक्षित किया जाएगा जिसका परिणाम टैंक के ढांचे या टैंक से संलग्न गुम्बद या रोको द्वारा संलग्न होने के कारण यान के उलटने की दशा में उत्पाद का रिसाव होगा ।

7. टैंक का निबंधित करना :

(1) टैंकों के साथ जैसे झलाई द्वारा फ्रेमों से नहीं जोड़े गए टैंकों में यान के रुकने, चलने या मुड़ने के परिणामस्वरूप टैंक और फ्रेम के मध्य होने वाली किसी सापेक्ष गति को रोकने के लिए निरोधक युक्ति की व्यवस्था की जाएगी ।

(2) ऐसी निरोधक युक्तियां निरीक्षण और अनुसंधान के लिए सहगम्य होंगी ।

(3) कोई टैंक इस प्रकार डिजाइन या निर्मित किया जाएगा जिससे इसमें प्रयुक्त संपूर्ण संरचनात्मक अंग या उसका कोई भाग किसी चौखट के अभाव में ऐसी रीति में अवलंबित रहेगा जिसके परिणामस्वरूप टैंक के दबाव का स्तर यथाप्राधिकृत सामग्री की न्यूनतम अंतिम सामर्थता के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और समर्थनकारी तत्वों की डिजाइन संगणना में समर्थनकारी सामग्री की न्यूनतम अंतिम सामर्थता का 20 प्रतिशत उपयोग करके समस्त संरूप उत्पादों के अधीन उहरने, आरंभ करने, घुमाने और गत्यात्मक लदाई द्वारा अधिरोपित लदाई भी सम्मिलित है ।

8. विसर्जन और भरण टॉटी या पाइप :

(1) विसर्जन टॉटी -- टैंक के प्रत्येक कम्पार्टमेंट में विसर्जन टॉटी फिट की जाएगी जो मजबूती से बनी हुई और लगाई हुई होगी और टॉटी के विसर्जन सिरों पर चूड़ियां होंगी या वह ऐसे डिजाइन की होगी कि होजों को उसके साथ मजबूती से जोड़ा जा सके ।

(2) भरण टॉटी -- टैंक का प्रत्येक कम्पार्टमेंट बंद गुंबद आवरण के साथ नीचे की ओर से भरने हेतु डिजाइन किया जाएगा जिसमें ए पी आई आर पी 1004 के अनुसार भरण टॉटी उपलब्ध होगी ।

(3) ऊपर की ओर से भरण व्यवस्था वाले टैंक का प्रत्येक कम्पार्टमेंट में ऊपर से भरण उपलब्ध करवाया जाएगा जो निम्न प्रकार का होगा --

(i) उसके आंतरिक सिरे पर उचित प्रकार का छिड़काव विक्षेपक फिट किया जाएगा और बाहरी सिरा चूड़ीदार और इस प्रकार डिजाइन किया गया होगा जिससे भरण हौज के साथ जोड़कर उसे लीकप्रूफ बनाया जा सके ;

(ii) यह लगभग टैंक के नीचे तक विस्तारित होगा ;

(iii) इसके बाहरी सिरे पर आयल टाइट लाकर कैप फिट की जाएगी ।

) उपयोजित

9. आपात विसर्जन नियंत्रण : -से संरक्षित
ग्न होने केचलने या
के लिएसंपूर्ण
रहेगा
ता के
नकारी
अधीने से
इन

हेतु

ब्ध

र
य

(1) टैंक के प्रत्येक कंपार्टमेंट के निकास पर एक सक्षम और भरोसे योग्य विराम वाल्व खोल होगा जो भीतर की ओर या कुंड में इस प्रकार लगा होगा कि वह खोल के एक अभिन्न अंग के रूप में रहे ।

(2) उप विरामक वाल्व के संचलन यंत्र में एक गौण नियंत्रक लगाया जा सकेगा जो सहगम्य हो किंतु सभी भराई और विसर्जन टॉटियों से दूर हो ।

(3) उप पैरा (2) द्वारा अपेक्षित गौण नियंत्रक के साथ एक संगलनीय (फ्यूजीबल) सेक्शन होगा जिससे आग लगने की दशा में उप विरामक वाल्व स्वतः बंद हो जाएगा ।

(4) अंदर स्थित उप विरामक वाल्व और विसर्जन टॉटी के बीच एक महीन सैक्शन लगाया जाएगा जो दबाव पड़ने पर टूट जाएगा और महीन सेक्शन प्रत्येक टैंक के आंतरिक वाल्व के पीपिंग प्रणाली आउट बोर्ड में और टैंक के खोल की मुख्य परिधि के 100 मि.मी. के भीतर या 100 मि. मी. के होदी के भीतर लगा होगा किंतु किसी भी दशा में टैंक के खोल की मुख्य परिधि से 200 मि.मी. की दूरी से अधिक नहीं होगा और पूर्ण रूप से भरे हुए किसी यान या यान सम्मिश्रण पर किन्हीं दो निकटवर्ती धुरियों के बीच अवस्थित कोई टैंक संघटक या संरक्षण युक्ति की न्यूनतम अनुज्ञेय सड़क निकासी पृथक रूप से ऐसी धुरियों के प्रत्येक 100 से.मी. का 4 से.मी. होगी और किसी भी दशा में 30.5 से.मी. से कम नहीं होगी ।

10. प्रसामान्य वैट :

(1) टैंक के प्रत्येक कंपार्टमेंट में एक स्वतंत्र निर्वात और दाब चालित वैट फिट किया जाएगा जिसका न्यूनतम कार्यकारी निर्गम द्वार 3 वर्ग सेंटीमीटर का होगा ; निर्गम द्वार अंसक्षारणीय धातु के तार की ऐसी जाली का होगा जिसमें प्रति सेंटीमीटर कम से कम 11 जालरन्ध्र वाली दो परतों से ढका होना चाहिए ।

(2) वैट इस प्रकार लगाया जाएगा कि कंपार्टमेंट के भीतर का दाब 0.21 कि.ग्रा. /सेंमी. तक और निर्वास 5 सें.मी. जल भाप तक सीमित रखा जा सके ।

11. अग्नि का सामना करने के लिए आपात वैट :

सामान्य वैट के अतिरिक्त प्रत्येक टैंक कंपार्टमेंट किसी भी प्रकार के दाब के एक्युटेड वैट या संगलनीय (फ्यूजीबल) वैट या दोनों के संयोजन से सुसज्जित होगा किंतु संगलनीय (फ्यूजीबल) वैट 25 किलो लीटर या उससे अधिक क्षमता वाले टैंकों में उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा ।

(1) दाब एक्युटेड वैट या वैट्स जहां भी उपलब्ध होते हैं, 0.21 कि.ग्रा. /से.मी से अन्यून पर खुलने और तब, जब दाब में 0.21 कि. ग्रा./सी. एम 2 या उससे अन्यून की कमी हो बंद होने के लिए सेट किया जाएगा और दाब एक्युटेड युक्ति को ऐसे डिजाइन किया जाएगा जिससे आवेश या यान के

पलटने की दशा में युक्ति से निकलने वाले द्रव को रोका जा सके सिवाय तब के जब वे यान के रोल ओवर मुद्रा की किसी स्थिति के अधीन दाब के उत्पन्न करने के लिए कार्य करती है और दाब एक्युटेड वैट्स की अवमुक्त क्षमता कंपार्टमेंट की क्षमता से संबंधित होगी और निम्नलिखित से अन्यून नहीं होगी:

| टैंक कंपार्टमेंट की शुद्ध क्षमता (के एल) | न्यूनतम आपात टैंक (एम 3/एच आर) |
|--|--------------------------------|
| 1 | 1474 |
| 2 | 1753 |
| 3 | 2372 |
| 4 | 2990 |
| 5 | 3509 |
| 6 | 4083 |
| 7 | 5273 |

(2) आपात वैट का संगलनीय (फ्यूजीबल) प्रकार का जहां कहीं उपलब्ध हो, न्यूनतम अग्निवैट निर्गम किलोलीटर में शुद्ध क्षेत्र कंपार्टमेंट की सकल क्षमता का 8 घन 4.3 गुणा के समतुल्य बर्ग सेंटीमीटर होगा और 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अनधिक तापक्रम पर प्रचालित एलीमेंटो द्वारा क्रियाशील किए जाएंगे और आपात संगलनीय वैट इस प्रकार डिजाइन किए जाएंगे जिससे उलटने की स्थिति में जब दाब बढ़ाए जाने की दशा के सिवाय यान पलटने की दशा में वैट के मार्फत द्रव की हानि को रोका जा सके।

12. लदाई और उतारने में संरक्षण:

जहां टैंक को बंद गुम्बद आवरण से भरने या खाली करने के लिए डिजाइन किया जाता है वहां सामान्य वैट के लिए उपलब्ध वैट या वैटो की 0.07 किलोग्राम / सेमी (6.9 के पीए) तक निर्वात सीमा होगी और 0.21 कि ग्रा/ से.मी 2 (20.7 के पी ए) तक का टैंक का दबाव अधिकतम उत्पाद अंतरण गति पर आधारित होगा और आकस्मिक अति भरण को निवारित करने के लिए 0.21 0.21 कि ग्रा/ से.मी 2 (20.7 के पी ए) से अनधिक दाब को रोकने के लिए वैट मूल्य पर्याप्त होगा।

13. टैंक के माप की व्यवस्थाएं:

- (1) प्रत्येक कंपार्टमेंट में एक डिप पाइप या कोई अनुमोदित टैंक मापन युक्ति फिट की जाएगी।
- (2) डिप पाइप, यदि उपलब्ध करवाया गया है, टैंक के तल तक ले जाया जाएगा और डिप पाइप ऊपरी कैप से खुलने के सिवाय प्रति सेंटीमीटर 11 छिद्रों से अन्यून वाली तार की दो परतों वाली जाली से ढका होगा।
- (3) डिप पाइप पर तेलरोधी लाकर कैप फिट की जाएगी।

14. टैंक को पलटने से संरक्षण :

(1) टैंक की सभी शीर्षस्थ फिटिंगों को ऐसे यान के चैसिस के जिस पर वह लगा हुआ है, पलटने की दशा में नुकसान होने से संरक्षित किया जाएगा।

(2) जहां टैंक की शीर्षस्थ फिटिंग के संरक्षण के लिए खोल की परिरेखा के भीतर या टैंक के साथ झलाई करके जोड़े गए दृढ़ गमन के भीतर बंद करने की व्यवस्था करके बचाव किया जाता है वहां ऐसे संरक्षण द्वारा बंद किया गया क्षेत्र में निकासी का पर्याप्त प्रबंध किया जाएगा और ऐसे प्लग या कट आउट लगाए जाएंगे जो उस सेक्शन को मरम्मत करने के पूर्व रूप से गैस मुक्त करने में समर्थ होंगे।

15. चिन्हांकन और प्रमाणीकरण :

(1) विनिर्माता का प्रमाणपत्र : विनिर्माता द्वारा यह प्रमाणित करते हुए हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र कि प्रत्येक ऐसा टैंक इन नियमों के अनुपालन में डिजाइन, विनिर्मित और परीक्षित किया गया है, प्राप्त किया जाएगा और ऐसा प्रमाण पत्र बाह्यक द्वारा ऐसे समय पर फाइलों में प्रतिधारित किया जाएगा जब उसके द्वारा ऐसे टैंक को नियोजित किया जाता है।

(2) इस प्रमाणपत्र के अतिरिक्त प्रत्येक टैंक पर, बाईं ओर अवस्थित संक्षारण के अधीन न रहते हुए, आगे की ओर निरीक्षण के लिए सहगम्य स्थान पर एक धातु की प्लेट लगाई जाएगी और ऐसी प्लेट सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग या ऐसे ही समतुल्य साधनों द्वारा टैंक पर स्थायी रूप से चिपका दी जाएगी ; और उस पर धातु की प्लेट पर ही मुद्रांकन उत्कीर्णन या अक्षर गढ़ने वाले किसी अन्य साधन द्वारा कम से कम 5 मि मी ऊंचाई के अनुरूप नीचे उपदर्शित सूचना को चिन्हांकित किया जाएगा और प्लेट पर पेंट नहीं किया जाएगा जिससे उसका चिन्हांकन धुंधला पड़ जाए।

विनिर्माता का नाम

विनिर्माण का अनुमोदित स्थान.....

मुख्य नियंत्रक का अनुमोदन संख्यांक और तारीख.....

विनिर्माता का क्रम संख्यांक.....

विनिर्माण की तारीख.....

मूल परीक्षा की तारीख (मास/वर्ष)

परीक्षा दबाव

किग्रा. /से.मी.2

खोल की सामग्री

झलाई सामग्री

| | |
|--|-----------|
| कंपार्टमेंट द्वारा नामित टैंक क्षमता (आगे से पीछे की ओर) | के एल |
| रिक्त भार और टैंक की फिटिंग | कि. ग्रा. |
| सकल यान भार | कि. ग्रा. |
| लदाई की सीमा | एल पी एम |
| उतराई की सीमा | एल पी एम |
| टैंक परीक्षण की तारीख | एल पी एम |

[फा. सं. पी- 11021/1/2003-वितरण]
विवेक कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 204(अ), तारीख 13 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.का. नि. 61(अ), तारीख 2 फरवरी, 2007 द्वारा उनका संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 2011

G.S.R.857(E)- WHEREAS a draft of the Petroleum (Amendment) Rules, 2011, was published as required by sub-sections (2) and (3) of section 29 of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934) by notification the dated the 14th June, 2011 of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number GSR 455(E), dated the 15th June, 2011 in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of forty five days from the date on which the notification was made available to the public;

AND WHEREAS, the said notification was made available to the public on the 15th June, 2011;

AND WHEREAS, no objection or suggestion to the draft rules was received by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 4, 5, 14, 21, 22 and sub section (1) of section 29 of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Petroleum Rules, 2002, namely :-

1. (1) These rules may be called the Petroleum (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum Rules, 2002, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, for clause (ix), the following item shall be substituted, namely:-

“(ix) “Defence Forces of the Union” includes General Reserve Engineering Forces under the Director-general Border Roads, Ordnance Factories under the Ministry of Defence, Assam Rifles, Central Reserve Police Force, Border Security Force, Indo Tibetan Border Police, Coast Guard and National Security Guard under the Ministry of Home Affairs and Special Security Bureau under the Cabinet Secretariat;”.

3. In the said rules, in rule 5, in sub-rule (1), for the words “iron or steel”, the words “steel or other suitable material” shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 6, in sub rule (1), for the word “iron”, the words “other suitable material” shall be substituted.

5. In the said rules, in rule 63, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) The tank shall be fabricated and mounted on the vehicle chassis by a manufacturer approved by the Chief Controller and such a manufacturer shall,-

(i) apply to the Chief Controller for approval with particulars of facilities and competent persons available with him and a scrutiny fee of rupees five hundred and the Chief Controller, on satisfying himself after verification of the particulars and competence of technical manpower, may approve the workshop for fabrication of tank truck and such approval shall be valid for three years from the date of issue of approval and renewable for further periods of three years on payment of fee of rupees five hundred for each three year period;

के एल
कि. ग्रा.
कि. ग्रा.
एल पी एम
एल पी एम
एल पी एम

[03-वितरण]
संयुक्त सचिव

13 मार्च,
तारीख

11, was
1934 (30
a in the
1 in the
ions or
re days

June,

y the

and

ent

(ii) submit the tank fabrication and mounting drawings in quadruplicate for each type of tank vehicle, along with scrutiny fee of rupees one hundred to the Chief Controller for approval and the Chief Controller, on satisfying himself after verification of the design, may approve the drawings and forward a copy thereof to the applicant with his signature and official seal."

6 In the said rules, in rule 64, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) The net carrying capacity of a tank truck or a tank semi-trailer shall not exceed 40 kilolitres of petroleum except in case of air-craft refueller in which case it shall not exceed 50 kilolitres and the net carrying capacity of any tank trailer shall not exceed 5 kilolitres of petroleum."

7. In the said rules, in rule 70,-

(1) in sub-rule (1),-

(i) after clause (iii), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that where the exhaust of diesel engine is based on design having electronic fuel management with unit injectors and electronic control unit coupled with turbo charger and intercooler arrangements, no separate spark arrestor be provided.";

(ii) in clause (vi), for the word "cab", of both the places where it occurs, the word "cabin" shall be substituted;

(2) in sub-rule (2), for the word "cab", the word "cabin" shall be substituted.

8. In the said rules, in rule 71,-

(1) in clause (ii),-

(i) for sub-clause (a), the following sub-clause shall be substituted, namely: -

“(a) comprise of conductors of adequate capacity to avoid overheating and shall be adequately insulated for maximum loads to be carried.”;

(ii) in sub-clause (b), for the words “protective covering, and”, the words “protective covering” shall be substituted;

(iii) in sub-clause (c), after the word “sealed”, the word “and” shall be inserted;

(iv) after sub-clause (c), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(d) shall be securely fastened and positioned in such a way that the conductors are adequately protected against mechanical stresses;”.

(2) For clause “(iii)”, the following clause shall be substituted, namely:-

“(iii) the generator, battery, switches, fuses and circuit breakers shall be carried in the cabin of the vehicle or in the engine compartment and the battery shall be in an easily accessible position with a heavy-duty switch for breaking the electrical circuits which shall be placed as close to the battery as possible -

(a) direct or indirect control devices shall be installed, one in the driver’s cabin and the second on the outside of the vehicle and both the devices installed inside the cabin of the vehicle and out side, shall be readily accessible and distinctly marked and the control device located in the driver’s cabin shall be within immediate reach of the driver, seated in the driver’s seat and it shall be protected against inadvertent operation by either adding a protective cover, or by using a dual movement control device or by other suitable means;

(b) it shall be possible to open the switch while the engine is running, without causing any dangerous excess voltage and the operation of the switch shall not constitute a fire hazard in an explosive atmosphere which can be ensured by using a switch having a casing with degree of protection IP 65;

(c) the cable connection on the battery master switch shall have a degree of protection IP54, save if such connection is contained in a housing which may be a battery box;

(d) the battery terminals shall be electrically insulated or covered by an insulating battery box cover which is properly vented;”.

(3) For clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-

“(iv) generators and motors and switches thereof which are not installed within the engine compartment and which remains energized when the battery master switch is open shall be suitable for use in hazardous areas and shall meet appropriate requirements of Indian Standards for the relevant gas group:

Provided that where such generators or motors or switches thereof are installed in an enclosed space, adequate provision shall be made for air circulation to prevent overheating and possible accumulation of inflammable vapours;”.

(4) After clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:-

“(v) bypass connections to the battery master switch for electrical equipment which remain energized when the battery master switch is open shall be protected against overheating by suitable means, such as a fuse, a circuit breaker or safety barrier (current limited):

Provided that the provisions of this rule except clause (i) and sub-clause (a) of clause (ii) shall not apply for transportation of petroleum Class A, otherwise than in bulk exclusively used by helicopters and aeroplanes for aerial crop spraying purposes only.”.

9. In the said rules, in rule 106,-

(i) in sub-rule (1), in the proviso, for the words “safe apparatus of a type”, the words “safe apparatus, either individually or in combination with other similar devices forming an intrinsically safe circuit of the type shall be substituted.”;

(ii) in sub-rule (2),

(a) in clause (ii), for the words "industrial type apparatus housed", the words "industrial type apparatus, approved in writing by the Chief Controller, housed" shall be substituted;

(b) after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:-

"(iii) combinations of different protection apparatus of the type approved in writing by the Chief Controller.";

(iii) in sub-rule (3), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) a non-sparking apparatus or protected contacts apparatus or restricted breathing enclosure apparatus or energy limited apparatus or simplified pressure protected apparatus of a type approved in writing by the Chief Controller; or";

(iv) in sub-rule (4), after sub-clause (ii), the following shall be inserted, namely:-

"Note:-

1. Intrinsically safe apparatus shall conform to IS/IEC:60079-11 or equivalent standard recognised by the Chief Controller;
2. Intrinsically safe circuit shall conform to IS/IEC:60079-25 or equivalent standard recognised by the Chief Controller;
3. Flameproof apparatus shall conform to IS/IEC:60079-1 or equivalent standard recognised by the Chief Controller;
4. Pressure protected apparatus shall conform to IS/IEC:60079-2/60079-13 or equivalent standard recognised by the Chief Controller;
5. Non-sparking apparatus shall conform to IS/IEC:60079-15 or equivalent standard recognised by the Chief Controller."

10. In the said rules, in rule 108, after sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely : -

“(4) The cross sectional area of the earthing conductor shall be minimum 4 square millimetres.

(5) The electrical integrity of the earthing system shall be measured only by devices approved by the Chief Controller.”.

11. In the said rules, in rule 124, in sub-rule (1),-

(i) for the words, “iron or steel”, the words “steel or other suitable material”, shall be substituted;

(ii) for the words, “codes or specification approved by the Indian Standard Institution”, the words “relevant specification of Bureau of Indian Standards” shall be substituted;

(iii) the proviso shall be omitted.

12. In the said rules, in rule 142, -

(i) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely : -

“(1A) A licence in Form XI granted or renewed under these rules shall remain in force for one or more years counted as 365 days or multiple thereof from the date of grant of such licence, subject to a maximum period of ten years.”;

(ii) in sub-rule (2), for the words “three years”, the words “ten years” shall be substituted.

be inserted,

13. In the said rules, in rule 144, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

“(6) Where the location of storage of petroleum is within the notified area of a Port or Airport under the control of the state, or establishment of Indian Space Research Organisation or Department of Atomic Energy, NO OBJECTION CERTIFICATE from the District Authority referred to in sub-rules (1) to (5) shall not be required :

Provided that consent for establishment of petroleum storage from the competent authority of concerned notified area or head of the establishment, as the case may be, is obtained.”.

minimum 4

and only by

shall be

14. In the said rules, in rule 148, -

(i) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

“(1A) Every licence granted in Form XI under these rules may be renewed for a maximum period of ten years counted as 365 days or multiple thereof from the date of grant of the licence where there has been no contravention of the Act or of the rules framed there under or of any conditions of the licence so renewed.”;

“condition”,
inserted;

(ii) in sub-rule (2), for the words and figures beginning from “Form III or Form XVII to three calendar years”, the following words and figures shall be substituted, namely :-

“Form III, Form XI or Form XVII may be renewable for a maximum period of ten calendar years”;

in in

the

(iii) in sub-rule (3), the word “calendar” shall be omitted;

be

(iv) in sub-rule (4), the words “together with approved plans attached to the licence wherever applicable” shall be omitted;

(v) in sub-rule (5), for the words "at least thirty days", the words "on or" shall be substituted;

(vi) for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely : -

"(7) The same fee shall be charged for the renewal of licence for each year as for the grant thereof:

Provided that if the application with accompaniments required under sub-rule (4) is not received within the time specified in sub-rule (5), but received after the date on which it expires, the licence, without prejudice to any other action that may be taken in this behalf, may be renewed on payment of a late fee amounting to one fourth of the licence fee for delay of every three months or part thereof, in addition to the licence fee for the period for which the renewal is sought for.";

(vii) sub-rule (8) shall be omitted.

15. In the said rules, for rule 151, the following rule shall be substituted, namely : -

"151. **Refusal of licence.** - A licensing authority refusing to grant, amend, renew or transfer a licence, shall record his reasons for such refusal in writing and shall furnish to the applicant, copy of the order refusing to grant, amend, renew or transfer of the licence :

Provided that before refusing to grant, amend, renew or transfer of the licence, the applicant shall be given a reasonable opportunity of being heard."

16. In the said rules, in rule 152, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely : -

" shall be

"(3) A licensing authority or the Central Government suspending or cancelling a licence under sub-rule (1), shall record its reason for so doing in writing and shall furnish to the licensee a copy of the order cancelling the licence."

ear as for

17. In the said rules, in Rules 181 to 185 shall be omitted.

18. In the said rules, in the First Schedule, -

(i) In column 1, against article 2, -

(a) under column 4, for the word "Controller", the words "Controller authorised in this behalf by the Chief Controller" shall be substituted;

(b) under column 5, for the words and figures "Rs. 500 for every Calender year or part thereof", the words and figures "Rs.500 for every year counted as 365 days from the date of grant or part thereof" shall be substituted;

(ii) against article 5, under column 4, for the word "Controller", the words "Controller authorised in this behalf by the Chief Controller" shall be substituted;

(iii) against article 7, under column 4, for the word "Controller", the words "Controller authorised in this behalf by the Chief Controller" shall be substituted;

(iv) against article 8, under column 4, for the word "Controller", the words "Controller authorised in this behalf by the Chief Controller" shall be substituted;

(v) against article 9, under column 4, for the word "Controller", the words "Controller authorised in this behalf by the Chief Controller" shall be substituted;

(vi) against article 10, under column 4, for the word "Controller", the words "Controller authorised in this behalf by the Chief Controller" shall be substituted;

(vii) against article 11, under column 4, for the word "Controller", the words "Controller authorised in this behalf by the Chief Controller" shall be substituted.

d under
(5), but
idice to
ayment
y three
which

new
shall
or

the
"

be

19. In the said rules, in the Second Schedule, -

(i) in Form XI,-

(a) for the word "Controller", the words "Controller of Explosives" shall be substituted;

(b) for the words "One year from the date of issue", occurring under the heading 'Description of the vehicle', the words and figures "One year counted as 365 days or multiple thereof from the date of issue subject to a maximum of ten years" shall be substituted;

(ii) in Form XII, for the heading "Space for Endorsement of Renewals" and the table there-under, the following shall be substituted, namely : -

"Space for Endorsement/Renewals

(This licence shall be renewable without any concession in fee for ten years in the absence of contravention of any provisions of the Petroleum Act, 1934 or of the rules framed there under or any of the conditions of this licence.)

| | | |
|-----------------|---------------------------|---|
| Date of renewal | Date of expiry of licence | Signature and Office stamp of the licensing authority |
|-----------------|---------------------------|---|

”;

(iii) in Form XIII, for the heading "Space for Endorsement of Renewals" and the table there-under, the following shall be substituted, namely : -

"Space for Endorsement/Renewals

(This licence shall be renewable without any concession in fee for ten years in the absence of contravention of any provisions of the Petroleum Act, 1934 or of the rules framed there under or any of the conditions of this licence.)

| | | |
|-----------------|---------------------------|---|
| Date of renewal | Date of expiry of licence | Signature and Office stamp of the licensing authority |
|-----------------|---------------------------|---|

”;

(iv) in Form XIV,

(a) for the word “Controller”, the words “Controller of Explosives” shall be substituted;

(b) for the heading “Space for Endorsement of Renewals” and the table thereunder, the following shall be substituted, namely :-

“Space for Endorsement of Renewals

(This licence shall be renewable without any concession in fee for ten years in the absence of contravention of any provisions of the Petroleum Act, 1934 or of the rules framed there under or any of the conditions of this licence.)

| | | |
|-----------------|---------------------------|---|
| Date of renewal | Date of expiry of licence | Signature and Office stamp of the licensing authority |
|-----------------|---------------------------|---|

”;

(v) in Form XV, -

(a) for the word “Chief Controller”, the words “Chief Controller of Explosives” shall be substituted;

(b) for the heading “Space for Endorsement of Renewals” and the table thereunder, the following shall be substituted, namely :-

“Space for Endorsement/Renewal

(This licence shall be renewable without any concession in fee for ten years in the absence of contravention of any provisions of the Petroleum Act, 1934 or of the rules framed there under or any of the conditions of this licence.)

| | | |
|-----------------|---------------------------|---|
| Date of renewal | Date of expiry of licence | Signature and Office stamp of the licensing authority |
|-----------------|---------------------------|---|

”;

(c) in TABLE-2, under the column heading “item”, in second row, for the words and figures “All tanks with diameters upto 50 metres”, the words and figures “All tanks with diameters exceeding 50 metres” shall be substituted;

(vi) in Form XVI, -

(a) for the word “Controller”, the words “Controller of Explosives” shall be substituted;

(b) for the heading “Space for Endorsement of Renewals” and the table thereunder, the following shall be substituted, namely : -

“Space for Endorsement/Renewals

(This licence shall be renewable without any concession in fee for ten years in the absence of contravention of any provisions of the Petroleum Act, 1934 or of the rules framed there under or any of the conditions of this licence.)

| | | |
|-----------------|---------------------------|---|
| Date of renewal | Date of expiry of licence | Signature and Office stamp of the licensing authority |
|-----------------|---------------------------|---|

”;

(vii) in Form XVII, for the word “Controller”, the words “Controller of Explosives” shall be substituted;

3(i)]

in
of

(viii) in Form XVIII, for the heading "Space for Endorsement/Renewals" and the table there-under, the following shall be substituted, namely :-

"Space for Endorsement/Renewals

(This licence shall be renewable without any concession in fee for ten years in the absence of contravention of any provisions of the Petroleum Act, 1934 or of the rules framed there under or any of the conditions of this licence.)

| | | |
|-----------------|---------------------------|---|
| Date of renewal | Date of expiry of licence | Signature and Office stamp of the licensing authority |
|-----------------|---------------------------|---|

(ix) under the heading "LICENCE", -

(a) for the words, letters and figures "FORM XIX (See Article 11 of the First Schedule of the Petroleum Rules, 2001)", the words, letters and figures "FORM XIX (See Article 11 of the First Schedule of the Petroleum Rules, 2002)" shall be substituted;

(b) for the word "Controller", the words "Controller of Explosives" shall be substituted.

20. In the said rules, for the Third Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :-

THIRD SCHEDULE

(See rules 63 and 77)

Design and construction of Tank Vehicles for Transporting Petroleum in Bulk

1. Basic design of tank vehicle:

(1) Tank vehicles for the transportation of petroleum in bulk shall be designed and constructed according to sound engineering practice to ensure correct

structural relationship between the tank, the propulsion equipment and supporting members, ruggedness, safe-road performance and braking power.

(2) In the case of an articulated vehicle, the weight at the ground of the carrying axles of the tank shall not exceed 60 percent of the designed gross laden weight.

2. Material of construction of Tank :

The tank shall be constructed of mild steel or High Strength Alloy Steel or Austenitic Stainless Steel or Aluminum Alloy having the following requirements approved by the Chief Controller.

A. Physical requirements:

(a) Mild Steel or High Strength Alloy Steel or Austenitic Stainless Steel :

| Property | Mild Steel (MS) | High Strength Alloy Steel (HSLA) | Low Austenitic Stainless Steel (SS) |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Yield Strength | 1,700 Kg/ Cm ² | 3,100 Kg/ Cm ² | 1,700 Kg/ Cm ² |
| Ultimate Strength | 3,100 Kg/ Cm ² | 4,200 Kg/ Cm ² | 4,900 Kg/ Cm ² |
| Elongation, 50 mm samples | 20% | 25% | 30% |

(b) Aluminum Alloys : Only aluminum alloy material suitable for fusion welding and in compliance with ASTM B-209 Alloy 5052, 5086, 5154, 5254, 5454, 5652 or equivalent specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and Plate, shall be used.

(c) All heads, baffles, and ring stiffeners shall be permitted to use zero temper (annealed) or stronger tempers and all shells shall be made of materials with properties equivalent to H32 or H34 tempers, except that lower ultimate strength tempers shall be permitted to be used if the minimum shell thickness are increased in inverse proportion to the lesser ultimate strength.

B. Thickness of metal.

Minimum thickness of the tank shall be related to the volume capacity of the tank expressed in liters per centimeter and the distance between partitions or baffles or other stiffeners as well as to major radius of shell curvature as specified in the table below :

Table

| Maximum Shell Radius ¹ | Distance between Heads, Baffles, or Ring Stiffeners | Volume Capacity in Litres per Centimeter | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|----------|-----|---------------|----------|-----|---------|----------|-----|
| | | Upto 21 | | | Over 21 to 27 | | | Over 27 | | |
| | | MS | HSLA, SS | AL | MS | HSLA, SS | AL | MS | HSLA, SS | AL |
| Less than 175 cm | 90 cm or less | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 |
| | Over 90 cm to 135 cm | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3.5 |
| | Over 135 cm | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 |
| 175 cm or more, less than 225 cm | 90 cm or less | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3.5 |
| | Over 90 cm to 135 cm | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 3.25 | 3 | 4 |
| | Over 135 cm | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 4.5 |
| 225 cm or more, less than 310 cm | 90 cm or less | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 3.25 | 3 | 4 |
| | Over 90 cm to 135 cm | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 4.5 |
| | Over 135 cm | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 4.5 | 4.2 | 3 | 5 |
| 310 cm or more | 90 cm or less | 3 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 4.5 |
| | Over 90 cm to 135 cm | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 4.5 | 4.2 | 3 | 5 |
| | Over 135 cm | 3.5 | 3 | 4.5 | 4.2 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4.2 | 6 |

Note : If the tank has other than circular cross-section, the radius for the purpose of this table shall be the maximum for that portion of the cross-section under consideration.

3. Joints :

All joints to tank, its shell, heads, partitions, baffles and stiffeners shall be welded in accordance with recognised good practice and the efficiency of any joint shall not be less than 85 per cent of the adjacent metal so joined.

4. Division of tank into compartment :

- (1) Unless expressly permitted in writing by the Chief Controller, a tank having a net capacity exceeding 5 kilolitres shall be divided into compartments by oil-tight partitions and no compartment shall have net capacity exceeding 5 kilolitres, in case tank truck or a tank semi-trailer with net carrying capacity not exceeding 25 kilolitres or 7 kilolitres in case tank truck or a tank semi-trailer with net carrying capacity exceeding 25 kilolitres.
- (2) Every partition shall be either dished, corrugated, reinforced or rolled. Flat partition without reinforcement shall not be allowed.
- (3) Tank vehicles designed to transport Class A Petroleum in one or more compartments and Class B or Class C Petroleum in other compartment or compartments, shall be provided with double partition and shall be equipped with separate piping, hoses for such classes of product.

5. Testing of tank:

- (1) Every tank shall have all its compartments tested to a minimum air or hydrostatic gauge pressure of 0.316 Kg/cm^2 and the individual compartments shall be tested with adjacent compartments empty and at atmospheric pressure.
- (2) Air pressure, if used, shall be held for a period of at least 5 minutes during which the entire surface of all joints under pressure shall be

coated with a solution of soap and water, heavy oil, or other material suitable for the purpose, foaming or bubbling of which indicates the presence of leaks.

- (3) Hydrostatic pressure, if used, shall be done by using water held for a period of at least 10 minutes, during which pressure as prescribed above shall be applied and gauged at the top of the tank.
- (4) All joints under pressure shall be inspected during the time for the issuance of liquid to indicate leaks.
- (5) All closures shall be in place while test by either method is made.
- (6) During these tests, operative relief devices shall be clamped, plugged, or otherwise rendered inoperative.

6. Accident Damage Protection :

- (1) The design, construction, and installation of any fitting to the shell or ends of the tank shall be such as to minimize the possibility of fitting damage or failure adversely affecting the product retention integrity of the tank and structural members, such as the suspension subframe, overturn protection shall be utilized as sites for attachment of fittings and any other accessories to a tank.
- (2) The welding of any fitting to tank shall be made by attachment to a mounting pad and the thickness of a mounting pad shall be not less than that of the tank to which it is attached and the pad shall extend at least 50 mm in each direction from any point of attachment of any fitting and shall have rounded corners or otherwise, be shaped in a manner to preclude stress concentrations on the shell or ends and the mounting pad shall be attached by a continuous weld around the pad.

- (3) Every tank shall be provided with a rear bumper to protect the tank and piping in the event of rear-end collision and to minimize the possibility of any part of the colliding vehicle striking the tank or any piping containing product and the bumper shall be located at least 150 mm to the rear of any vehicle component that is used for loading or unloading purposes or may at any time contain product while in transit and the bottom surface of the bumper must be at least 100mm below the lower surface of any part of tank or piping which contains product during transit and not more than 1m from the ground when the vehicle is empty and structurally, the bumper shall be designed to successfully absorb the impact of the vehicle with rated payload (i.e., prevent damage that will cause leakage of product), with a deceleration of 2 "g" using a factor of safety of two based on the ultimate strength of the bumper material and for the purposes of these rules such impact shall be considered uniformly distributed and applied horizontally (parallel to the ground) from any direction at an angle not exceeding 30 degrees to the longitudinal axis of the vehicle.
- (4) All closures for loading, unloading and manhole with fittings shall be protected from damage that will result in leakage of product in the event of overturning of the vehicle, by being enclosed within the body of the tank or dome attached to the tank or by guards.
7. **Anchoring of tank:**
- (1) Tanks with frames not made integral with the tank as by welding shall be provided with restraining devices to eliminate any relative motion between the tank and frame that may result from the stopping, starting, or turning of the vehicle.
- (2) Such restraining devices shall be readily accessible for inspection and maintenance.
- (3) Any tank designed and constructed so that it constitutes in whole or in part the structural member used in lieu of a frame shall be supported in

EC. 3(i)]

n
e
e
t
t
t
t
t
t
t

such a manner that the resulting stress levels in the tank do not exceed 20 percent of the minimum ultimate strength of the material as authorised and the design calculations of the support elements shall include loadings imposed by stopping, starting, turning, and dynamic loading under all product configurations using 20 percent of the minimum ultimate strength of the support material.

8. Discharge and filling faucet or pipe :

(1) Discharge faucet: Each compartment of a tank shall be fitted with a discharge faucet which shall be substantially made and so attached and the discharge end of the faucet shall be threaded or so designed as to permit the hose being tightly coupled to it.

(2) Filling Faucet: Each compartment of a tank designed for bottom loading; with dome covers closed, shall be provided with filling faucets as per API RP 1004.

(3) Each compartment of the tank with top loading filling arrangements shall be provided with a top filling pipe which is such that-

(i) its inner end is fitted with a proper type of splash deflector and the outer end threaded or so designed as to ensure leak proof connection with the filling hose;

(ii) it extends down nearly to the bottom of the tank;

(iii) its outer end is fitted with an oil tight locker cap.

9. Emergency discharge control :

(1) The outlet of each compartment of tank shall have an efficient and reliable shut-off valve located inside the shell or in a sump forming an integral part of the shell.

- (2) The operating mechanism for the shut-off valve shall be provided with a secondary control in an easily accessible position but remote from all fill openings and discharge faucets.
- (3) The secondary control required by sub-paragraph (2) shall be provided with a fusible section which will permit the shut-off valve to close automatically in the event of a fire.
- (4) A shear section which will break under strain shall be provided between the internal shut-off valve and the discharge faucet and the shear section shall be located in the piping system outboard of each of tank internal valve and within 100 mm of the major radius of the tank shell or within 100 mm of a sump, but in no case more than 200 mm from the major radius of the tank shell and the minimum allowable road clearance of any tank component or protection device located between any two adjacent axles on a fully loaded vehicle or vehicle combination shall be at least 4 cm of each 100 cm separately such axles and in no case less than 30.5 cm.

10. Normal-venting :

- (1) Every compartment of tank shall be fitted with an independent vacuum and pressure operated vent with a minimum effective opening of 3 square centimeters; the opening being covered with two layers of non-corroding metal wire gauge having not less than 11 meshes per centimeter.
- (2) The vent shall be so arranged as to limit the pressure within the compartment to 0.21 Kg/cm and the vacuum to 5 centimeter water gauge.

11. Emergency venting for fire exposure:

In addition to the normal venting, each tank compartment shall be equipped with either pressure actuated vent or fusible vent or a combination of both, but,

fusible vents shall not be provided on tanks of capacity 25 Kilolitre and above.

(1) Pressure-actuated vent or vents wherever provided shall be set to open at not less than 0.21 kg/cm^2 and close when pressure drop 0.21 kg/cm^2 or below and the Pressure-actuated devices shall be designed so as to prevent leakage of liquid past the device in case of surge or vehicle upset, except that they shall function in case of pressure rise under any condition of vehicle rollover attitude and the relieving capacity of pressure actuated vents shall be related to the capacity of the compartments and shall not be less than as under:

| Net capacity of tank compartment (KL) | Minimum Emergency Venting (M ³ /Hr) |
|---------------------------------------|--|
| 1 | 1474 |
| 2 | 1753 |
| 3 | 2372 |
| 4 | 2990 |
| 5 | 3509 |
| 6 | 4083 |
| 7 | 5273 |

(2) The fusible type of emergency vent wherever provided shall have a minimum fire-venting opening of a net area in square centimeters equal to 8 plus 4.3 times the gross capacity of the compartment in kilolitres and shall be activated by elements operating at a temperature not exceeding 120°C and the emergency fusible vent shall be so designed as to prevent loss of liquid through the vent in the case of vehicle upset except in the case of pressure rise when in the upset position.

12. Loading and Unloading protection:

Where the tank is designed to be loaded or unloaded with the dome cover closed, the vent or vents provided for normal venting shall limit the vacuum to 0.07 kg/cm^2 (6.9 kPa) and the tank pressure to 0.21 kg/cm^2 (20.7 kPa) based on maximum product transfer rate and the vent valve shall have sufficient liquid capacity to prevent pressure from exceeding 0.21 kg/cm^2 (20.7 kPa) to prevent accidental overfilling.

13. Tank-gauging arrangements:

- (1) Each compartment shall be fitted with a dip pipe or any approved-tank-gauging device.
- (2) The dip, pipe if provided, shall be carried up to the bottom of the tank and opening in the dip pipe, except the capped top opening, shall be covered with two layers of wire gauge having not less than 11 meshes per centimeter.
- (3) The dip pipe shall be fitted with an oil light locker cap.

14. Tank overturns protection:

- (1) All tank top fittings shall be protected from damage in the event of overturning of the vehicle chassis on which it is mounted.
- (2) Where protection to tank top fittings are provided by enclosing them within the contour of the shell or within a rigid coming welded to the tank shell, the area enclosed by such protection shall be adequately drained and provided with plugs or cut-outs, to enable the section to be gas-freed completely before repair.

15. Marking and Certifying:

- (1) **Manufacturer's Certificate:** A certificate signed by the manufacturer of the tank certifying that each such tank is designed, constructed, and tested in compliance with these rules shall be procured, and such certificate shall be retained in the files of the carrier during the time that such tank is employed by him.
- (2) In addition to this certificate, there shall be on every tank a metal plate not subject to corrosion located on the left side, near the front, in a place readily accessible for inspection and such plate shall be permanently affixed to the tank by means of soldering, brazing, welding, or other equally suitable means; and upon it shall be marked in characters at least 5 mm high by stamping, embossing, or other means of forming letters into or on the metal of

ik-

the plate itself the information indicated below and the plate shall not be painted so as to obscure the markings thereon.

nk

be

es

Manufacturer's Name

Approved place of manufacture

Chief Controller Approval No and date

Manufacturer's Serial No.

Date of manufacture

Original test date (MM/YY)

f

Test pressure Kg/cm²

Shell material

Weld material

Nominal tank capacity by compartment (front to rear)..... KL

Empty weight and tank fittings Kgs

Gross vehicle weight..... Kgs

Loading limits LPM

Unloading limits..... LPM

Date of Tank test.....

[F.No. P-11021/1/2003-Dist.]

VIVEK KUMAR, Jt. Secy.

Note: The Principal Rules were published in The Gazette of India vide notification number G.S.R. 204(E), dated the 13th March, 2002 and subsequently amended vide G.S.R. 61(E), dated the 2nd February, 2007.